<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 15.01.2023</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

<u>पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा कोतवाली सदर का भ्रमण किया गया</u>

आज दिनांक 15.01.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा कोतवाली सदर का भ्रमण किया गया। इस दौरान थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, मेस, बैरक, कम्प्यूटर कक्ष, महिला हेल्पडेस्क आदि स्थानों पर भ्रमण करके कार्यो का अवलोकन किया गया तथा जरूरी दिशा-निर्देश दिये गये।

थाना कार्यालय के भ्रमण के दौरान विभिन्न रजिस्टर्स/अभिलेखों का अवलोकन करके उनके व्यवस्थित रख-रखाव तथा उन्हें अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया। मालखाने में माल मुकदमाती के रख-रखाव तथा नियमानुसार माल का विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण की समीक्षा की गई। महिला हेल्प डेस्क पर आये प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का शत प्रतिशत फीडबैक लेने तथा थाने आने वाले शिकायतकर्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिये गये। प्रत्येक पुलिसकर्मियों को जनता से मृदुल भाषा में बात करने एवं सरल व्यवहार करने हेतु निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि पुलिसकर्मियों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को थाने पर बैठाया जाता है तो उसका उल्लेख जीडी में अवश्य किया जाये तथा उसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को तथा पुलिस कन्ट्रोल रुम को अवश्य दी जाये तथा अनावश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को थाने पर न रोका जाये। सीसीटीवी कैमरों के संचालन तथा उनकी नियमित मॉनिटरिंग हेतु निर्देशित किया गया तथा शत प्रतिशत सीसीटीवी कैमरों को संचालित रखने के निर्देश दिये गये। साथ ही शस्त्रों के नियमित रूप से साफ-सफाई हेतु भी निर्देश दिये गये।

मेस में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता उच्चकोटि की रखने, भोजन बनाने के दौरान साफ-सफाई का घ्यान रखने तथा पुलिस जवानों के नियमित आहार में मौसमी हरी सब्जियों, शुद्ध पेयजल एवं प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया गया। शहर के एकल मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुद्दढ़ करने एवं सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही कर सुगम यातायात प्रबंधन हेतु कड़े निर्देश दिये गये। सड़क सुरक्षा माह अभियान में तेजी व प्रभावी कार्यवाही अमल में लाने हेतु भी निर्देशित दिया गया।

<u>थाना उचौलिया पुलिस द्वारा, लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र कलेक्टर को लूट के ट्रक, अन्य सामान व अवैध तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के अंतर्गत थाना उचौलिया पर पंजीकृत मु0अ0स0 10/23 धारा 328/392 भादवि में प्रकाश मे आये अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र कलेक्टर नि0 ग्राम सुरितायपुर थाना उचौलिया जनपद खीरी को आज दिनांक 15.01.23 को थाना उचौलिया पुलिस द्वारा ऐरा प्लांट कोटरा से लूट का 01 अदद ट्रक , 01अदद मोबाईल व 2000/- रूपये तथा 01अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद

जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के संबंध मे थाना उचौलिया पर मु0अ0स0 11/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मुकेश कुमार पुत्र कलेक्टर नि0 ग्राम सुरतियापुर थाना उचौलिया जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद ट्रक
01 अदद मोबाईल
2000/- रूपये
01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 181/21 धारा 328/376डी भादवि व 5G/6 पाक्सो एक्ट थाना पसगवां खीरी
2.मु0अ0स0 10/23 धारा 328/392/411 भादवि थाना उचौलिया खीरी
3.मु0अ0स0 11/23 धारा 3/25ए एक्ट थाना उचौलिया खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 लोकेश सिंह राणा
2. उ0नि0 उपेन्द्र सिंह भदौरिया
3. हे0का0 राजेश सिंह
4. का0 टिंकू प्रजापति
5. का0 ओमकार सिंह

थाना खीरी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त पुनीश उर्फ पुनीत पुत्र गौमती प्रसाद को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0014/23 धारा 376AB भा0द0वि0 व 5M/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त पुनीश उर्फ पुनीत कुमार पुत्र गोमती प्रसाद नि० ग्राम जमुनिहा थाना व जिला खीरी को बैरागर तिराहे से दिनांक 15.01.2023 को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. पुनीश उर्फ पुनीत कुमार पुत्र गोमती प्रसाद नि0 ग्राम जमुनिहा थाना व जिला खीरी

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 0257/2021 धारा 376/506 भादवि थाना व जिला खीरी
2. मु0अ0सं0 0014/2023 धारा 376AB भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना व जिला खीरी

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र०नि० दिनेश कुमार सिंह थाना व जिला खीरी
2. उ0नि0 मलखान सिंह थाना व जिला खीरी
3. हे0का0 प्रमोद वर्मा थाना व जिला खीरी
4. कां0 लोकेश कुमार थाना व जिला खीरी

थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा कारतूस बरामद कर अभियुक्त दिनेश पुत्र जोगेन्दर को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री, परिहवन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम गोविन्दनगर चौराहा से 01 नफर अभियुक्त दिनेश पुत्र जोगेन्दर नि0 बाजार घाट थाना हजारा जनपद पीलीभीत को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सम्पूर्णानगर पर मु0अ0सं0 17/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी

01 अदद अवैध तमंचा देशी 12 बोर व 01 अदद अवैध जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. दिनेश पुत्र जोगेन्दर नि0 बाजार घाट थाना हजारा जनपद पीलीभीत।

पुलिस टीम -

1. उ0नि0 अभिषेक सिंह (प्रभारी चौकी खजुरिया थाना सम्पूर्णानगर खीरी)
2. का0 चमन सिंह
3. का0 पकंज चौधरी

यातायात पुलिस व एआरटीओ खीरी की संयुक्त टीम द्वारा सडक सुरक्षा माह के अंतर्गत की गई कार्यवाही

आज दिनांक 15.01.2023 को जनपद खीरी में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस व एआरटीओ (प्रवर्तन) खीरी श्री रमेश कुमार चौबे की संयुक्त टीम द्वारा सिसैया चौराहा व बस्ती- पीलीभीत मार्ग पर चलने वाले वाहन चालकों को एकत्रित कर यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया व सुरक्षित यातायात संचालन के लिए प्रशिक्षित किया गया । हैंडबिल, पम्पलेट इत्यादि वितरित कर यातायात नियमों के संबंध में जानकारी दी गई ।

यातायात पुलिस व आरटीओ की संयुक्त टीम द्वारा बस्ती -पीलीभीत मार्ग पर डग्गामार वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर ओवरलोड, ओवरहाइट, सीटबेल्ट धारण न करने, ओवरस्पीडिंग व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले व यातायात नियमों के उल्लंघन में कुल 125 चालान किए गए, 245000/- रु0 सम्मन शुल्क अधिरोपित किया गया व 06 वाहन सीज किए गए।

<u>थाना भीरा पुलिस द्वारा, 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद करके अभियुक्त दिनेश पुत्र सोबरन को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 15.01.23 को थाना भीरा पुलिस द्वारा अभियुक्त दिनेश पुत्र सोबरन निवासी ग्राम त्रिकोलिया थाना भीरा जनपद खीरी को भवानीपुर चौराहा बीबीपुर मोड़ के पास बहदग्राम बीबीपुर से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त के विरूध्द थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 22/2023 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमाण्ड हेतु लखीमपुर खीरी भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

दिनेश पुत्र सोबरन निवासी ग्राम त्रिकोलिया थाना भीरा जनपद खीरी

<u>बरामदगीः-</u>

01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 विपिन कुमार सिंह
2. का0 विशाल कुमार
3. का0 अमित कुमार

थाना मितौली पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त अमित कुमार पुत्र रामसेवक को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 14.01.23 को थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त अमित कुमार पुत्र रामसेवक निवासी निमचेनी थाना मितौली जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बंध मे थाना मितौली पर मु0अ0सं0 24/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम उपरोक्त के पंजीकृत किया गया ।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त सुधीर पुत्र स्व0 जगदीश को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 14.01.23 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुधीर पुत्र स्व0 जगदीश निवासी गोडवा थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बंध मे थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 46/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम उपरोक्त के पंजीकृत किया गया ।

थाना भीरा पुलिस द्वारा, जुआ खेलते हुए 08 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध समाज विरोधी क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 14.01.23 को थाना भीरा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 08 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व कुल 19700/- रु0 नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना भीरा पर मु0अ0सं0 21/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अ0सं0 379/22 धारा 363/366/376 भादवि व पाक्सो एक्ट एवं 3(2)5 SC/ST Act में वांछित अभियुक्त पवन पुत्र रामनरेश निवासी चुरईपुरवा थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अ0सं0 20/23 धारा 452/376/504/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट एवं 3(1)द,ध व 3(2)V SC/ST Act में वांछित अभियुक्त विवेक वर्मा पुत्र रामसागर थाना फरधान जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

3. थाना खीरी पुलिस द्वारा अ0सं0 9/23 धारा 382 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1. शादाब पुत्र सईद, 2. सरताज को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 112 लीटर अवैध शराब बरामद कर 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **112 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **02 शराब भट्टी** बरामद कर **08 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **12 अभियोग** पंजीकृत किए गए।